समाचार–प्रकाशनार्थ :–

स्वच्छता हेतु वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक

रतलाम 25 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने लेकर स्वच्छता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त 23 पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने–अपने वार्डो में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ–सफाई, विशेष रूप से सड़को, नालियों की सफाई, उद्यानों की साफ–सफाई व रख–रखाव करवाना, सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिग करवाना, सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डो में साइनेज का कार्य करवाना, वार्डो में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवाना, कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करना, कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करना, पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाना, वार्डो में आईईसी गतिविधियां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस ट्रेकिंग करवाना, थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवाना, नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग किये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन के कार्यो की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करेंगे। स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का एक व्हाट्स एप ग्रुप तैयार करने के निर्देश बैठक में दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया वे अपने–अपने वार्डो में 6–6 बेस्ट पाईट चिन्हित कर सूची उपलब्ध करवायेंगे। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि पर्यवेक्षण कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को वार्ड के दरोगा व सफाई संरक्षकों की नाम व मोबाईल नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराये जाने के साथ ही वार्ड की चर्तुसीमा भी उपलब्ध कराई जाये।

बैठक में सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी सहित उपयंत्री व नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

स्वच्छता का शहर के विकास में बड़ा योगदान है

स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के तहत कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली निर्माण कर विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित कराई गई

रतलाम 25 फरवरी । मन, वाणी, कर्म, शरीर, हृदय, चित्त, समाज, परिवार, संस्कृति और व्यवहार से लेकर धर्म और विज्ञान तक में स्वच्छता का विशेष महत्व है। या कहें, बिना स्वच्छता के जीवन, परिवार, समाज, संस्कृति, शहर और चेतना के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता प्रथम सोपान है। स्वच्छता विकास का बड़ा पैमाना है। इस कार्य में जब तक शहर के हर हाथ से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम हमारे शहर को स्वच्छता की दौड़ में देश में अव्वल नहीं ला पाएगे। इसलिए स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में हर कोई बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी निभाए।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश और स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी.सिंह के निर्देशन में सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने गुरुवार को शहर के आधा दर्जन से अधिक कचरामुक्त स्थानों रांगोली का निर्माण कर क्षेत्रीय रहवासियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया है।

इस मौके पर समूह के सदस्यों ने नागरिकों को समझाया कि विकास का मतलब अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छा वाहन और अच्छा घर ही माना जाता है। विकास का मतलब स्वच्छता, कर्तव्यों का पालन और सहयोग की भावना नहीं स्वीकार किया गया। अच्छी सडकें तो सभी चाहते हैं लेकिन उसकी साफ–सफाई का दायित्व कभी स्वयं पर नहीं डालना चाहते। सडकों पर गंदगी करना जैसे हमारा पुनीत कर्तव्य बन गया है। इसी तरह छोटे मार्गों, गलियों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य उपयोगी स्थानों को हम गंदा करके उसे साफ करना नहीं सीखा। यही कारण है कि शहरों में नई–नई बीमारियां रोजाना पैदा हो रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यदि शहर की सडकें, छोटे मार्ग, गलियां, खेल के मैदान, पार्क, और अन्य सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बना दिया जाए तो होने वाली बीमारियां एक चौथाई से भी कम रह जाएंगी।

नगर निगम की सहयोगी संस्था सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने इस मौके पर स्वच्छ सर्वेक्षण की फीटबैक के पेम्पलेट और स्टीगर का वितरण कर नागरिकों से सफाई कार्य में सहयोग की अपील भी की गई। यहां बच्चों और महिलाओं की मौजूदगी भी रांगोली, निबंध और मेंहदी आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर इनके बेहतर प्रदर्शन पर मौके पर ही इन्हे प्रमाणपत्र व बालपेन आदि देकर सम्मानित भी किया गया।

मुख्यमंत्री मा0 श्री शिवराजसिंह जी चौहान

आज करेंगे दीनदयाल रसोई योजना का लोकार्पण

लोकार्पण कार्यक्रम का सिविक सेन्टर में होगा सीधा प्रसारण

रतलाम 25 फरवरी । दीनदयाल अन्त्योदय रसोईयोजना के तहत मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह जी चौहान की पहल पर हर गरीब को सस्ता एवं पौष्टिक भरपेट भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु आज 26 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से सिविक सेन्टर, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड व त्रिपोलिया गेट पर दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की जा रही है।

दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुभारंभ मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा दोपहर 03:00 बजे भोपाल के मिन्टो हॉल से किया जायेगा जिसका सीधा प्रसारण सिविक सेन्टर पर किया जायेगा जिसमें जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, नागरिक व हितग्राही सादर आमंत्रित है।

नगर निगम द्वारा जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, नागरिक व हितग्राहियों से अपील की जाती है सिविक सेन्टर में किये जाने वाले सीधे प्रसारण में मास्क लगाकर व शारीरिक दूरी बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा किये जाने वाले शुभारंभ कार्यक्रम को देखे व सुने। कार्यक्रम पश्चात सभी आमंत्रितजन भोजन हेतु भी सादर आमंत्रित है।

दीनदयाल रसोई योजना के तहत हर गरीब को मात्र 10/– रूपये में प्रति दिवस के मीनू अनुसार भोजन प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक रसोई केन्द्रों पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

10 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 8 किलो पॉलीथीन जब्त

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड
गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 25 फरवरी । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल–फ्रुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/– रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी विक्रेता जो कि गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत मुस्तफा, आदित्य जैन, पवन पर 250–250, मनीष, शर्माजी, गोपाल, संजय पर 100–100, रमेश, श्याम, आरिफ सैलाना बस स्टैण्ड पर 50–50 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 8 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

धानमण्डी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 39,21,144/– संपत्तिकर व 8,23,090/– जलकर जमा कराया

रतलाम 25 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/– व जलकर 6,000/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/– व जलकर 55,775/–, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/– व जलकर 49,010/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/– व जलकर 43,670/–, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/– व जलकर 29,280/–, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/– व जलकर 19,850/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/– व जलकर 48,220/–, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/– व जलकर 14,000/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/– व जलकर 86,540/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/– व जलकर 3,76,905/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/– व जलकर 76,470/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/– व जलकर 47,595/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/– व जलकर 22,680/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर

1,01,644/– व जलकर 55,320/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/– व जलकर 59,500/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/– व जलकर 6,71,025/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/– व जलकर 19,000/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/– व जलकर 64,780/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/– व जलकर 66,715/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/– व जलकर 34,340/–, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/– व जलकर 44,230/– की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 39,21,144/– संपत्तिकर व 8,29,090/– जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

691 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 25 फरवरी । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 25 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 691 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 25 फरवरी को डोंगरे नगर, बिरियाखेड़ी, 80 फीट रोड, अलकापुरी व विनोबा नगर से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान

पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

126 दिनों में 148 वॉल्व व 866 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 25 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 25 फरवरी तक 148 वॉल्व व 866 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

''रतलाम जलशक्ति अभियान'' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 25 फरवरी गुरूवार को कस्तुरबा नगर सर्वोदय किराना के सामने, टैंकर रोड, सांईनाथ नगर, वीआईपी नगर, सिलावटों का वास में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये। इसके अलावा जवाहर नगर लोहे वाली पुलिया के पास वॉल्व दुरस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 25 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र

रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 25 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 25 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 25.02.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.